FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** ई ओ डब्लू **P.S. (थाना):** ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0129 **Year (वर्ष):** 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 04/09/2025 17:14 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** गुरूवार | **Date From (दिनांक से):** 12/12/2024 | **Date To (दिनांक तक):** 12/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 | **Time From (समय से):** 00:00 बजे | **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2025

Time (समय): 17:01 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003

Date & Time (दिनांक और समय): 04/09/2025 17:14

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 3.5 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) **Address (पता):** कार्यालय उप पंजीयक भोपाल - 2,आई एस बी टी परिसर, पृथम ,तल, होशंगाबाद रोड भोपाल मप्र

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**

Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री पंकज गौतम, उप पुलिस अधीक्षक कार्यवाहक

(b) **Father's Name (पिता का नाम) :** श्री रामेश्वृ दयाल

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 02/06/1973 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	895636439675

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	42, अरेरा हिल्स,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	42, अरेरा हिल्स,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ,भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9425665676

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राहुल शर्मा /		पिता का नाम : श्री सुरेन्द्र शर्मा	1. जी-4, महामाया अपार्टमेंट, सर्वधर्म बी सेक्ट र, कोलार रोड, भोपाल शहरी,मध्य प्रदेश,भारत
2	नीरज पटेल एवं अन्यं /		पिता का नाम : श्री गुरूदयाल पटेल	1. 34, भदभदा रोड, सेवनिया गोंड, ,सूरज नगर,भोपाल शहरी, मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 04.09.2025 को श्री पंकज गौतम , उप पुलिस अधीक्षक कार्यवाहक, इकाई भोपाल द्वारा टाईपशुदा एवं हस्ताक्षरित शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 00/2025, धारा 318, 338, 336, 340, 61भारतीय न्यारय संहिता का इकाई भोपाल से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट की नकल निम्नानुसार है:-देहाती नालसी 1.थाना : ई ओ डब्यू जिला : भोपाल2.अपराध क्रमांक 00/25 3.धारा 318, 338, 336, 340, 61भारतीय न्याय संहिता 4.घटना दिनांक 12.12.2024 से12.12.2024 तक5.थाना जहां सूचना प्राप्तु हुई ईओडब्यूा भोपाल 6.सूचना का प्रकार लिखित 7.घटना स्थाल का पता कार्यालय उप पंजीयक भोपाल - 2, आई. एस. बी. टी. परिसर, पृथम तल, होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.) 8.थाने से दिशा व दूरी लगभग 3.5 कि.मी. पूर्व 9.शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता पंकज गौतम आत्म ज श्री रामेश्धुर दयाल, उम्र : 52 वर्ष , उप पुलिस अधीक्षक (का.वा.) ईओडब्यू , इकाई भोपाल10.आरोपीगण का नाम (1) राहुल शर्मा आत्म ज श्री सुरेन्द्रा शर्मा, जी-4, महामाया अपार्टमेंट सर्वधर्म बी सेक्ट्, कोलार रोड भोपाल (म.प्र.)(2) नीरज पटेल आत्मवज श्री गुरूदयाल पटेल, 34, भदभदा रोड, सेवनिया गोंड, सूरज नगर भोपाल एवं अन्या 11.देहाती नालसी लेख करने का दिनांक 04.09.2025 विवरण मैं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। शिकायतकर्ता पं. एम.के. भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत शिकायत को प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में शिकायत क्रमांक 290/25 दिनांक 18.05.2025 पर पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. इकाई भोपाल के पत्र क्रमांक 897-ए दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से यह शिकायत मेरे पास सत्यापन हेतु प्रेषित की गई।शिकायत में आरोप लगाया गया कि खसरा क्रमांक 38/16/1, कुल रकबा 0.134 हेक्टेयर, ग्राम बरखेडी कलां, पटवारी हल्का क्रमांक 04, राजस्व निरीक्षक मंडल रातीबड़, तहसील एवं जिला हुजूर, भोपाल स्थित भूमि की वास्तविक स्वामिनी एम.एस. रिवेलो हैं, जो वर्तमान में गोवा में निवासरत हैं।आरोप है कि उक्त भूमि का विक्रय आरोपी राहुल शर्मा द्वारा फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार

कर अवैध तरीके से किया गया। उपयोग में लाई गई कथित पावर ऑफ अटार्नी जिस पंजीयन क्रमांक पर दर्ज होना दर्शाया गया है, उस क्रमांक पर वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की पावर ऑफ अटानी दर्ज है।आरोपी राहुल शर्मा, पिता सुरेन्द्र शर्मा ने इस फर्जी पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर विक्रय पत्र (ई-पंजीयन क्रमांकMP0597020204A11392123) निष्पादित किया और भूमि का विक्रय नीरज पटेल, पिता गुरुदयाल पटेल के पक्ष में किया।इसके अतिरिक्त, विक्रय पत्र में जिन बैंकों के माध्यम से भुगतान दर्शाया गया है, उन खातों से वास्तविक भुगतान कभी संपन्न ही नहीं हुआ।शिकायत के सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के कथन दर्ज किए गए तथा आरोपों की पुष्टि हेतु संबंधित विभागों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त किए गए। जाँच में यह तथ्य सामने आया कि,(1) दिनांक 12.12.2024 को ई-पंजीयन क्रमांक MP059702024A11392123 से एक विक्रय पत्र उप-पंजीयक श्रीमती अंजू मिश्रा द्वारा पंजीकृत किया गया। उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से खसरा क्रमांक 38/16/1, ग्राम बरखेडी कलां, पटवारी हल्का क्रमांक 40, राजस्व निरीक्षक मंडल रातीबड़, विकासखण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, कुल रकबा 0.1340 हेक्टेयर (0.33 एकड़ / 14,374 वर्गफीट) भूमि का क्रय-विक्रय दर्शाया गया।इस विक्रय पत्र में विक्रेता राहुल शर्मा (मुख्तारनामा धारक), क्रेता नीरज पटेल तथा भूमिस्वामी मेवेल रेवेलो अंकित किए गए हैं। विक्रय पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उक्त विक्रय का आधार दिनांक 29.11.2012 को पंजीकृत मुख्तारनामा आम है, जो पुस्तक क्र. अ-1, ग्रंथ क्र. 54, पृष्ठ क्र. 97-100, दस्तावेज क्र. 2/1478 में उप-पंजीयक कार्यालय, भोपाल में दर्ज है।(2) विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 12.12.2024में विक्रय मूल्य / अदायगी राशि के रूप में विक्रेता को कुल 71,72,000/- प्राप्त होना दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है क्रमांकबैंक एवं शाखा का नामचेक क्रमांकराशि ()1एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल000033 2,30,000/- 2एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल000034 3,50,000/- 3एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल000035 5,50,000/- 4एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल000036 15,00,000/-5एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल00003715,00,000/-6एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल00003815,00,000/-7एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल00003915,00,000/-8नगद-42,000/-कुल योग71,72,000/-(3) विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 12.12.2024में यह उल्लेखित है कि विक्रेताएवंक्रेतादोनोंपक्षकारसंयुक्तरूपसेयहघोषणाकरतेहैं कि विक्रय पत्र में उल्लिखित कथन तथा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाइल नंबर, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उसी रूप में अंकित किए गए हैं।विक्रय पत्र का प्रारूप, पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तैयार किया गया है।यदि उक्त संपत्ति संबंधी विवरण या अपलोड किए गए दस्तावेज़ों एवं जानकारी में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकारों (विक्रेता एवं क्रेता) की होगी।अर्थात् विक्रय पत्र में वर्णित सभी तथ्यों के लिए केवल पक्षकार ही पूर्णतः जिम्मेदार माने जाएंगे।(4) कार्यालय उप-पंजीयक भोपाल, उप जिला-2, प्रथम तल, आईएसबीटी परिसर, हबीबगंज, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 62/3.पं.-392/2025दिनांक 03.06.2025के माध्यम से विक्रय पत्र (ई-पंजीयन क्रमांक MP059702024A11392123, पंजीयन दिनांक 12.12.2024) की सत्यापित प्रति तथा संदर्भित मुख्तारनामा आम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई गई।प्राप्त मुख्तारनामा आम, दिनांक 29.11.2012, पुस्तक क्र. अ-1, ग्रंथ क्र. 54, पृष्ठ क्र. 97-100, दस्तावेज क्र. 2/1478 पर पंजीकृत पाया गया। उक्त मुख्तारनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह अधिकारदान 1.श्रीमती सुरैया हसन, पत्नी श्री जफर हुसैन एवं पुत्री श्री फिदा मोहम्मद हजरत, निवासी भोपाल2.श्रीमती नजमा जहीर, पत्नी जहीर-उल-इस्लाम एवं पुत्री श्री फिदा मोहम्मद हजरत, निवासी भोपालद्वारा अधिकार ग्रहिता मोहम्मद ताहिर हजरत, आत्मज श्री फिदा मोहम्मद हजरत, निवासी भोपाल के पक्ष में निष्पादित किया गया था।इस मुख्तारनामा के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति अधिकार एक किता प्लाट, क्षेत्रफल 10,000 वर्गफुट, उस पर आंशिक रूप से निर्मित मकान सहित, प्लाट क्रमांक 23, गली क्रमांक 02, खसरा क्रमांक 77, टीलाजमालपुरा, भोपाल स्थित संपत्ति से संबंधित हैं।(5) कार्यालय उप-पंजीयक भोपाल-2, प्रथम तल, आईएसबीटी परिसर, हबीबगंज, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 100/व.उ.पं./2025, दिनांक 25.06.2025के

माध्यम से यह अभिलेख उपलब्ध कराया गया कि विक्रय पत्र (ई-पंजीयन क्रमांकMP059702024A11392123, पंजीयन दिनांक 12.12.2024) के निष्पादन से पूर्व पक्षकारों द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और पोर्टल पर अपलोड किए गए थे, उनकी प्रतियां निम्नानुसार प्राप्त हुईं1.अधिकार ग्रहिता (राहुल शर्मा) का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शपथ पत्र।2. अधिकारदाता (मेवल रेबेल्लो) का शपथ पत्र एवं छायाचित्र।3.क्रेता (नीरज पटेल) का पैन कार्ड एवं शपथ पत्र। 4.संपत्ति संबंधी अभिलेख खसरा, वही, नक्शा एवं संपत्ति के छायाचित्र।5.मुख्तारनामा खास / सर्वाधिकार।(6) आरोपी राहुल शर्मा ने मुख्तारनामाबाम के रूप में प्रस्तुत होकर विक्रय पत्र (ई-पंजीयन क्रमांक MP059702024A11392123, पंजीयन दिनांक 12.12.2024) निष्पादित कराया। इस विक्रय पत्र में सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो मुख्तारनामा पोर्टल पर अपलोड किया गया, वह एक मुख्तारनामा खास / सर्वाधिकार है।इस अपलोडेड मुख्तारनामा मेंअधिकारदाता: मेवल रेबेल्लो, पुत्री श्री ई.एस. रेबेल्लो, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी 701, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, बी.डी. मार्ग, जी.पी.ओ., नई दिल्ली।अधिकारग्रहिता: राहुल शर्मा, आत्मज श्री सुरेन्द्र शर्मा, वयस्क, निवासी मकान क्रमांक 41, फेस-04, आग्टेल कुंज, श्रीकृष्णपुरम, ग्राम समरदा, भोपाल।संपत्ति का विवरण:एक किता भूमि, खसरा क्रमांक 38/16/क एवं खसरा क्रमांक 39, 40, कुल रकबा 0.1340 हेक्टेयर (0.33 डेसीमल), जो ग्राम बरखेडी कलां, पटवारी हल्का क्रमांक 40, राजस्व निरीक्षक मंडल रातीबड़, विकासखण्ड फंदा, तहसील हुज़ूर, जिला भोपाल स्थित है। यह भूमि नगर निगम सीमा से बाहर एवं मुख्य मार्ग के अंदर स्थित है।उक्त मुख्तारनामा पर यह अंकन एवं सील भी अंकित है कि यह दस्तावेज पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ क्रमांक 54, पृष्ठ क्रमांक 97-100, दस्तावेज क्रमांक 2/1478, पंजीयन दिनांक 29.11.2012 पर पंजीकृत है।(7) जिस मुख्तारनामा आम का उपयोग अनावेदक राहुल शर्मा ने विक्रय पत्र दिनांक12.12.2024के निष्पादन हेतु किया है, वह कूटरचित (forged) पाया गया । कारण यह है कि उक्त मुख्तारनामा में अंकित पुस्तक क्रमांक, ग्रंथ क्रमांक, पृष्ठ क्रमांक तथा दिनांक पर वास्तव में एक अन्य मुख्तारनामा आम पंजीकृत है, जो अधिकारदाता श्रीमती सुरैया हसन एवं अधिकारग्रहिता मोहम्मद ताहिर के मध्य निष्पादित हुआ था।इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आरोपी राहुल शर्मा ने जालसाजी से तैयार किए गए कूटरचित मुख्तारनामा का उपयोग कर उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कराया।(8) विक्रित भूमि के प्रतिफल के संबंध में जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि क्रेता नीरज पटेल ने अपने बैंक खाता क्रमांक 50200066171809, एचडीएफसी बैंक, शाखा नेहरू नगर, भोपाल से निम्नानुसार भुगतान कियाचेक क्रमांक 000033 के माध्यम से (रुपये में) 2,30,000/-चेक क्रमांक 000034 के माध्यम से (रुपये में) 3,50,000/-चेक क्रमांक 000042 के माध्यम से (रुपये में) 2,00,000/-नकद राशि (रुपये में) 42,000/-इस प्रकार कुल भुगतान राशि केवल 8,22,000/- पाई गई।बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रय पत्र में अंकित चेक क्रमांक 000035, 000036, 000037, 000038 एवं 000039 का भुगतान अनपेड पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र में दर्शाए गए इन पाँच चेकों का न तो भुगतान हुआ और न ही उनका लेन-देन वास्तविक रूप से संपन्न हुआ।अतः यह स्थिति आरोपीगण राहुल शर्मा एवं नीरज पटेल के बीच आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy) की ओर स्पष्ट संकेत करती है। (9) जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी क्रेता नीरज पटेल द्वारा विक्रेता राहुल शर्मा को भूमि के एवज में केवल (रुपये में) 8,22,000/- का वास्तविक भुगतान किया गया, जबकि विक्रय पत्र में यह मिथ्या तथ्य अंकित किया गया कि कुल (रुपये में) 71,72,000/- की अदायगी की गई है।

इस प्रकार आरोपी विक्रेता राहुल शर्मा और आरोपी क्रेता नीरज पटेल ने आपस में मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत उस संपत्ति का विक्रय किया, जिस पर उनका कोई वैध स्वामित्व अथवा अधिकार नहीं था। उक्त षड्यंत्र को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने एक कूटरचित मुख्तारनामा का उपयोग किया और उसे वास्तविक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर विक्रय पत्र निष्पादित कराया।विक्रय पत्र में दर्शाया गया प्रतिफल मूल्य ₹71,72,000/- होने के बावजूद, मात्र ₹8,22,000/- का ही भुगतान पाया गया। इसके उपरांत, आरोपी क्रेता नीरज पटेल ने राजस्व अभिलेखों में उक्त संपत्ति का नामांतरण अपने नाम पर भी करवा लिया। (10) अतः यह स्पष्ट है कि, आरोपी राहुल शर्मा ने कूटरचित मुख्तारनामा का उपयोग कर उक्त भूमि का अवैध

विक्रय आरोपी नीरज पटेल के पक्ष में किया। पंजीयन विभाग से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार, जिस पुस्तक, ग्रंथ, पृष्ठ एवं दिनांक का उल्लेख इस मुख्तारनामे में किया गया है, उसी पर वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति का मुख्तारनामा पंजीकृत है। विक्रय पत्र में प्रतिफल राशि के भुगतान संबंधी जो सात चेक अंकित किए गए थे, उनमें से पाँच का भुगतान अनपेड पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि, आरोपियों ने परस्पर मिलकर जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित मुख्तारनामा (मूल्यवान प्रतिभूति) का उपयोग कर संपत्ति का अवैध विक्रय किया और वास्तविक भूमिस्वामी मेवेल रेबेलो को आर्थिक क्षति पहुँचाई।

आरोपीगण राहुल शर्मा, नीरज पटेल एवं अन्य का यह कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 318, 336, 338, 340 सहपठित धारा 61, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु यह देहाती नालसी प्रेषित है।

(पंकज गौतम)
उप पुलिस अधीक्षक, का.वा. ई. ओ. डब्ल्यू, इकाई भोपाल

हस्ताक्षर श्री पंकज गौतम, उप पुलिस अधीक्षक विवेचक/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल म. प्र। शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वार्णित आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 129/2025, दिनांक 04/09/2025, धारा 318, 338, 336, 340, 61भारतीय न्या ीय संहिता का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) **or (या)**

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PANKAJ GAUTAM
No.(सं.): 0100
Rank (पद): I (Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):DR DINESH JOSHI

Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police

No.(सं.): 12345

14.**Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15.**Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))